IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समेकित बाल विकास योजना : एक नजर

डा०नीलू
सहायक प्राध्यापक (अतिथि)
गृह विज्ञान विभाग
रामवृक्ष बेनीपुरी महिला कॉलेज
बी०आर०ए०बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर, बिहार

सारांश

समेकित बाल विकास याजना भारत सरकार की एक अनोखी योजना है जो बच्चों को उपहार स्वरूप ही यह स्कूल एवं बच्चों और उनकी माँ को जीवित रहने की दर बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन तथा सीखने के अवसर प्रदान करनी है। इसकी स्थापना 1975 ई० में की गई। सर्वप्रथम 33 परियोजनाओं प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी जिसमें 18 परियोजनाओं ग्रामीण खण्डों में 11 आदिवासी खण्डों में और 4 झुग्गी झोपड़ी वाले खण्डों में शुरू हुए थे।

समेकित बाल विकास योजना के प्रमुख कार्यक्रम हैं:—

- सहायक पोषाहार
- पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा
- रोग–निरोधन
- स्वास्थ्य परीक्षण
- शाला पूर्व शिक्षा
- विशेष सुविधायें

समेकित बाल विकास योजना की स्थापना कुपोषण की विकट समस्या के समाधान करने हेतु किया गया है। पोषाहार योजना की विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय सहयोगी संस्थाओं में समेकित बाल विकास योजना अपना प्रमुख स्थान रखती है।

मुख्य शब्दः समेकित, पोषाहार, कुपोषण।

प्रस्तावना

भारतवर्ष एक विकासात्मक देश हैं जिसमें बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का स्तर आजादी के पाँच दशक बितने के बाद आज भी निम्न ही हैं कुपोषण सभी विकासात्मक देशों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है जिसके अर्न्तगत जन्म से लेकर पाँच वर्ष` बच्चों एवं महिलाओं को ग्रसित होते देखा गया है। नित्य नये शोधों के परिणाम देखने से इसके दो मुख्य कारण स्पष्ट जान पड़ता है।–

1. स्त्री अशिक्षा
2. आर्थिक स्तर का निम्न होना

समेकित बाल विकास (सेवा) योजना की स्थापना बच्चों का सम्पूर्ण विकास करना तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं माताओं को स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और शिक्षा जैसी आवश्यक आधरभूत सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किय गया। समेकित बाल विकास योजना की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई। समेकित बाल विकास योना भारत सरकार की अनोखी योजना है। यह बच्चों एवं माताओं को उपहार स्वरूप है।

समेकित बाल विकास योजना के उद्देश्यः

- 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आहार–पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना।
- बच्चों की उचित शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास की नींव रखना।
- मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़न`की घटनाओं को कम करना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने एवं विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना।
- उचित पोषण एवं स्वास्थ्य, शिक्षा द्वारा माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एंव पोष्ज्ञण सम्बन्धी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्त्ति करने की क्षमता में वृद्धि करना।

सर्वप्रथम समेकित बाल विकास योजना द्वारा 33 परियोजनायें प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। जिनमें 18 परियोजनायें ग्रामीण खण्डों में 11 आदिवासी खण्डों में और 4 झुग्गी झोपड़ी वाले खण्डों में शुरू हुए थे।

समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम का सगठन और क्रियान्वयनः

बाल विकास परियोजना अधिकारी के जिम्मे एक पूरी परियोजना में कार्यक्रम लागू करना है क्योंकि वह अकेले सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों की देखरेख और दिशा–निर्देश नहीं कर सकता इसलिए मुख्य सेविकाओं को देख–रेख का काम सौंपा गय हैं। आमतौर पर एक मुख्य सेविका ग्रामीण परियोजना में 20 आंगनवाड़ी आदिवासी परियोजना में 17 आंगनवाड़ी तथा शहरी परियोजना में 25 आंगनवाड़ी के काम की देखरेख करती है।

समेकित बाल विकास योजना के कार्यक्रम की स्वास्थ्य सेवायें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्रों के डॉक्टरों, महिला स्वास्थ्य सहायकों तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है।

जिला स्तर पर कार्यक्रम के समन्वय की जिम्मेदारी कलक्टर/उपायुक्त/डिप्टी कमिश्नर की होती है। राज्य स्तर पर कार्यक्रमों के निर्देशन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सचिव, सवमजा कल्याण विभाग या समेकित बाल विकास योजना से सम्बद्ध विभाग की होती है। केन्द्र स्तर पर, योजना के क्रियान्वयनके निर्देश की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की होती है।

समेकित बाल विकास योजना के कार्यक्रमः

समेकित बाल विकास योजना के अर्न्तगत 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए सेवायें उपलब्ध करायी गई है–

1. सहायक पोषाहारः

कम आय वाले परिवारों के बच्चे, गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलानेवाली माताओं को अतिरिक्त पोषाहार प्रदान किया जाता है। एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को 200 कैलरी, 8–10 ग्राम प्रोटीन, एक से छः वर्ष के बच्चे को 300 कैलरी, 10–12 ग्राम प्रोटीन और गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को 500 कैलरी, 25 ग्राम प्रोटीन के अतिरिक्त आहार सुलभ कराने की व्यवस्था हैं यह वर्ष में 300 दिन दिए जाते हैं। गंभीर रूप से कुपोषित बच्च`को विशेष आहार देने की व्यवस्था है। भोजन के प्रकार प्रत्येक राज्यों में विभिन्न हैं। केन्द्र में ही तैयार करके गर्म भोजन दिया जाता है। जिसमें विभिन्न प्रकार` अनाज का मिश्रण, दाल, हरी सब्जियाँ, तेल तथा चीनी होते हैं। साथ ही कुपोषित बच्चों को विटामिन A की बड़ी खुराक दी जाती है। इसके अतिरिक्त रक्तअल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत खून की कमी वाले बच्चे एवं महिलाओं को लौह–लवण की गोलियाँ भी दी जाती हैं।

2. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षाः

सभी महिलाओं को पोषाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है जिसके अर्न्तगत आँगनवाड़ी केन्द्र है। जो स्कूल पूर्व बच्चों तथा उनकी माताओं को स्वासयि, पौष्टिक आहार और शिक्षा के बारे में सेवायें प्रदान कर रही है।

3. रोग–निरोधनः

एक आँगनवाड़ी केन्द्र के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्रों के सभी बच्चों को जान लेवा रोगों से बचाने के लिए टीके लगाये जाते हैं। महिलाओं को प्रसव–पूर्व एवं प्रसवोपरान्त देखभाल की शिक्षा दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन बहुल आहार के अतिरिक्त आयरन एवं फॉलिक अम्म की गोलियाँ भी दी जाती है।

4. स्वास्थ्य परीक्षणः

आँगनवाड़ी में उपकेन्द्र से आई हुई नर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर सभी बच्चों के स्वास्थ्य का नियमित रूप से परीक्षण करते हैं तथा उसके इलाज भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता दस्त या अतिसार होने पर इसकी चिकित्सा के बारे में उचित सलाह देती है तथा ओरल डिहाइड्रेशन को घोल तैयार करके बच्चों की चिकित्सा करना सिखाती है।

5. शाला पूर्व शिक्षा:

तीन से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक ढंग से कई ढंग की शिक्षा खेल–खेल में देने की विधि से देती है ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो। इस कार्य में आंगनवाड़ी की सेविकाओं का बहुत योगदान रहता है।

समेकित बाल विकास योजना की समस्त सेवायें एक ही केन्द्र में उपलबध करायी जाती है जिसे आंगनवाड़ी कहते हैं। इस केन्द्र की सेविकायें बच्चों एवं महिलाओं से सीधा सम्पर्क बनाये रखती हैं।

6. विशेष सुविधायें:

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शहरी स्वास्थ्य प्रणाली के चिकित्सकों और नर्सो की स्वास्थ्य ओली स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करती हैं। गंभीर मामलों को अस्पतालों एंव अन्य विशेष संस्थानों में भेजने की व्यवसाी है। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का विवरण कार्डों पर दर्ज किया जाता है तथा उन्हें कार्ड प्रदान किए जाते हैं।

एक मुश्त सेवायें:

बच्चों व माताओं को समेकित बाल विकास योजना के अर्न्तगत एक मुश्त सेवायें जैसे पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जाँच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। सहायक सेवायें, प्रतिरक्षण पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा गैर अनऔपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा आदि है।

लाभार्थी व उनको दी जाने वाली सेवाये:

क्रम सं०	लाभार्थी	सेवायें
1.	गर्भवती और दूध पिलाने वाली मातायें	–स्वास्थ्य की जाँच –धनुषटंकार से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को टीका –सहायक सेवायें – पूरक पोषाहर
2.	15 से 45 वर्ष की महिलायें	पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा
3.	1 वर्ष से कम आयु के बच्चे	– पूरक पोषाहार –प्रतिरक्षण (रोग निरोध्क टीका) –स्वास्थ्य की जाँच –सहायक सेवायें
4.	1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे	–पूरक पोषाहार – प्रतिरक्षण (रोग निरोधक टीका)

		–स्वास्थ्य की जाँच –सहायक सेवायें
5	3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे	–पूरक पोषाहार –प्रतिरक्षण (रोग निरोधक टीका) – स्वास्थ्य की जाँच –सहायक सेवायें –गैर औपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा

इस प्रकार समेकित बाल विकस योजना काय्रक्रम का लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में माताओं के स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और शिक्षा जैसी आवश्यक आधारभूत सेवायें प्रदान करना है।

शोध प्रविधि:

शोध प्रविधि के अध्ययन का क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत शहरी क्षेत्र है। इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपकल्पनाओं को निरूपित किया गया है:–

- समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है– इस बात की जानकारी प्राप्त करना।
- क्षेत्र में समेकित बाल विकास योजना द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम का लाभ महिलायें एवं बच्चों को मिल पा रहा था नहीं।
- गर्भवती महिला एवं 0–6 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीकाकरण, आयरन की गोली इत्यादि दिए जाने की समुचित व्यवस्था का आंकलन करना।
- आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक एवं स्वास्थ्य स्तर की जानकारी प्राप्त करना।

शोध कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए साक्षात्कार एवं प्रश्नावली विधि का सहारा लिया गया। सूचनाओं का अध्ययन एवं संग्रहीकरण प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से किया गया। पूरे साक्षात्कार के दौरान निरीक्षण पद्धति का उपयोग किया गया ।

परिणामः

साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों को संग्रह किया गया तथा तथ्य संमकों को सारणीकृत किया गया। सारणीकरण के पश्चात् विभिन्न तालिका के माध्यम से कोटिबद्ध किया गया। उदाहरणार्थ :

तालिका नं०–01

पूर्व शालेय बच्चों के लिए संतुलित आहार का नियोजन समेकित बाल विकास योजना द्वारा चलाये गये संस्था से प्राप्त करती हे।

क्र.सं.	समेकित बाल विकास योजना द्वारा चलाये गये संस्था से प्राप्त	आवृत्ति
01	कम आय वाले परिवार लेतेग हैं।	30
02	मध्यमवर्गीय परिवार लेते हैं।	20
03	उच्च वर्गीय परिवार लेते हैं	Nil
	कुल	50

निष्कर्षः

समेकित बाल विकास योजना द्वारा चलाये गए संस्था द्वारा सबसे अधिक कम आय वाले परिवार की महिलाओं एवं बच्चों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवचार वाले थोड़ा बहुत लाभान्वित हो रहे हैं एवं उच्च वर्गीय परिवार की महिलायें एवं बच्चे इसका लाभ उठाना जरूरी नहीं समझते हैं।

तालिका संख्या –02

2–6 वर्ष की आयु के बच्चों को 24 घंटे में कितनी बार आहार देती है?

क्र.सं.	आहार देने का समय	आवृत्ति
01	बच्चा जब रोता है या मांगता है	30
02	निर्धारित समय पर	05
03	अनिश्चित समय पर	15
	कुल	50

निष्कर्षः

महिलाओं द्वारा अपने बच्चे को आहार अथवा भोन कराने के समय संबंधी आंकड़ों को दर्शाती है। अधिकांश महिलायें जब बच्चे को भूल लगती है वह रोने लग जाता है तभी उन्हें आहार देती हैं। समय पर आहार देने वाली महिलाओं की संख्या कम हैं अधिकांश महिलाओं आहार समय पर दिया जाना चाहिए इस बात से अनजान हैं।

निष्कर्षः

समेकित बाल विकास योजना विश्व बैंक से प्राप्त राशि के आधार पर भारतवर्ष में चलायी जा रही है। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य 0–6 वर्ष तक के आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं के मृत्यु–दर और उनकी रोग दर में कमी लाना है। मृत्यु और रो की चपेट में ऐसे बच्चे अधिक आते हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं। भारत सरकार ने 1975 में समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ किया जिसके तत्वाधान में ग्रामीण खण्ड, आदिवासी खण्ड एवं गंदी बस्तियों में इस कार्यक्रम का संचालन आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं एवं 0–6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से चलाया गया । समेकित बाल विकास योजना द्वारा प्रसारित कार्यक्रम क्रमशः निम्नांकित प्राप्त हुए–

- 0–6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पौष्टिक आहार का आवंटन करना।
- भावी माता एवं पूर्व–शालेय आयु के बच्चों को विटामिन एवं खनिज लवण की गोलियों का निःशुल्क आवंटन करना।
- संक्रामक रोग एवं बच्चों के अन्य रोगों से संबंधित मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था करना।
- पूर्व–शालेय बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देना।

समेकित बाल विकास योजना द्वारा चलाये गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का लाभ क्षेत्र की महिलायें एवं बच्चों को मिल रहा है। समेकित बाल विकास योजना के अर्न्तत प्राप्त साधनों का भरपूर लाभ उठाने में हीनता का अनुभव नहीं करती हैं यह एक शुभ लक्षण है। बच्चे सही मार्ग–दर्शन पाकर माता–पिता, परिवार या समाज का नहीं अपने राष्ट्र की प्रगति में भी एक सुनहरी कड़ी जोड़ने का काम करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ की सूचीः

1. नारायण प्रो० श्रीमती सुधा : आहार विज्ञान, रिसर्च पब्लिकेशन।
2. बर्मा डा०प्रमिला एंव पाण्डेय कान्तिः आधुनिक गृह विज्ञान आहार एवं पोषण।
3. महिला एवं बाल विकास विभाग : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार आंगनवाड़ी संदर्शिका, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास याजना नई दिल्ली–1988
4. शोध प्रबंध : मुजफ्फरपुर जिलार्न्तगत शहरी क्षेत्र के पूर्व–शालेय बच्चों पर समेकित बाल विकास योजना के प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन।